न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, XII, दरभंगा
पीठासीन पदाधिकारी : जावेद आलम
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–286/2026
(अब्दुल सलाम मंसूरी बनाम राज्य सरकार)

==========

1. अब्दुल सलाम मंसूरी पे0 स्व0 अब्दुल करीम मंसूरी.....आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार.....विपक्षी

==========

आवेदकगण की ओर से : जावेद अहमद खान, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

==========

आदेश

22-04-2026 **1.** यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक **अब्दुल सलाम मंसूरी** की ओर से कमतौल थाना काण्ड संख्या 17/26 **(**विद्वान सी0जे0एम0, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित**)** के अंतर्गत आरोपित अपराध धारा 126(2), 115(2), 118(1), 303(2), 109(1), 74, 352, 351(2) 3(5) बी0एन0एस0 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए दाखिल किया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

3. सूचक अब्दुल कलाम मंसूरी के फर्दब्याान के अनुसार घटना संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक 15.01.2026 को अपने घर के पास गार्डन में बैठा हुआ था। समय करीब सुबह 10 बजे अब्दुल सलाम मंसूरी उनकी पत्नी फरजाना खातून एवं उनके दोनों बेटे कासिब उर्फ चंटु और शाकिब उर्फ मंटु आए और अचानक लाठी, रॉड एवं डंडे से सूचक पर हमला कर दिये। सूचक चिल्लाया, सूचक के चिल्लाते ही सूचक की पत्नी अफरीदा खातून आयी, उक्त चार लोग सूचक की पत्नी को भी मारने पीटने लगे और कहे तुम लोग यहां से भागो, तुम लोग को पहले भी बोला यहां से जाने के लिए। कासिब ने सूचक के जेब से 4,000 रु0/– एवं शाकिब ने सूचक की पत्नी के गले से सोने की चेन (जो लगभग दो भरी का था) निकाल लिया। सूचक की पत्नी का विरोध करने पर, उक्त चारों लोग सूचक की पत्नी की दुपट्टा खींचकर, उसे अर्धनग्न कर दिए। उक्त चारों लोग सूचक और सूचक की पत्नी को जान से मारने की नीयत से प्रहार किया, जिससे सूचक और उसकी पत्नी के सिर पर चोट लगा और खून बहने लगा, जिससे दोनों लोग बेहोश हो गये। सूचक के बच्चे और आस–पास के लोग इकट्ठे हुए और दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटी में भर्ती कराया, जहां से उन्हें डीएमसीएच भर्ती करवाया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के द्वारा इस केस में कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और ना ही कहीं लम्बित है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को पुरानी रंजिश के कारण इस वाद में झूठा फॅसाया गया है। आवेदक का कोई

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, XII, दरभंगा
पीठासीन पदाधिकारी : जावेद आलम
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–286 / 2026
(अब्दुल सलाम मंसूरी बनाम राज्य सरकार)

आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। सूचक और आवेदक सहोदर भाई है, जमीनी विवाद के कारण यह झूठा मुकदमा किया गया है। धाराएं 303(2), 74 एवं 109(1) को छोड़कर सभी जमानतीय धाराएं है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है और उसके भागने की कोई संभावना नहीं है तथा बी0एन0एस0एस0 की धारा 482(2) के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। इसलिए आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत करने का प्रार्थना किया गया।

6. अभिलेख एवं संपूर्ण कांड दैनिकी का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त एवं आवेदक दानों रिश्तेदार है और जमीनी विवाद के कारण मार–पीट हुआ है, जिसके उपरांत यह वाद दाखिल किया गया है। सूचक एवं सूचक की पत्नी को कारित जख्म की प्रकृति साधारण है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए आवेदकगण **अब्दुल सलाम मंसूरी पे0 स्व0 अब्दुल करीम मंसूरी** को बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के शर्तों के अधीन न्यायालय विद्वान सी0जे0एम0, दरभंगा में इस आदेश के प्राप्त होने के **15 दिनों** के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में 10,000 / – (**दस हजार)** रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित,

ह0
(जावेद आलम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, XII
दरभंगा।